न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

पीठसीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS
वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 53,88,188 आर.टी.ए.
प्रकरण संख्याः- 064/2019

शिवराजसिंह पुत्र श्री हरभजनसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील व जिला हनुमानगढ़

-:वादी

बनाम

1 गुरदाससिंह पुत्र हरभजनसिह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 गुरमेलसिहं पुत्र हरभजनसिह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 रणजीतकौर पत्नी स्व. श्री हरभजनसिहं जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

-:प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री हीरालाल बिथलिया - अधिवक्ता वादी
2. श्री हरमनप्रीत सिंह - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता
3. राज पैरोकार

-:निर्णयः-

दिनांक 31.10.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का डाक का पंजीकृत पता सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वाद के शीर्षक में अंकित है।

यह कि वाद की संरचना/नोईयत को गहराई से समझने के लिए वादी एवं प्रतिवादीगण का रक्त संबध वाद पत्र में अंकित किया गया है।

यह कि वादी के पिता हरभजनसिंह पुत्र श्री करतारसिहं जाति जटसिख निवासी डबली राठान के नाम से चक 7 एसटीजी खाता संख्या 185/157 पत्थर नम्बर 89/272 मु. नम्बर 2 किला नम्बर 3,8,9,13,18,23 कुल 1.378 हैक्टेयर जिसमें 1.302 हैक्टेयर नहरी व 0.076 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता एवं पत्थर नम्बर 87/276 मुरब्बा नम्बर 32 किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 कुल 2.5300 हैक्टेयर जिसमें 2.304 हैक्टेयर नहरी, 0.050 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता व 0.176 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला व पत्थर नम्बर 88/276 मुरब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 20 कुल 0.2530 हैक्टेयर नहरी इस प्रकार कुल 4.161 हैक्टेयर जिसमें 3.859 हैक्टेयर नहरी, 0.126 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता व 0.176 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला दर्ज कागजात रिकॉर्ड माल था।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 के पिता एवं प्रतिवादीया संख्या 3 के पति हरभजनसिंह का दिनांक 3-10-2015 को देहान्त हो गया। हरभजनसिंह के वादी एवं प्रतिवादीगण

संख्या 1 ता 3 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है। इसलिए हरभजनसिंह के देहान्त होने के उपरान्त उपरोक्त कृषि भूमि का विरासतन संख्या 930 दिनांक 20-7-2018 को वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज कागजात पटवार माल हो गया। जो पेश जमाबन्दी से स्पष्ट है।

यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 की माता प्रतिवादीया संख्या 4 बूढ़ी औरत है और यह स्वयं भूमि में कोई हिस्सा भी प्राप्त करना चाहती और ना ही वह अपने हिस्से की भूमि को काश्त कर सकती है। उसने अपने हिस्से की भूमि अपने सभी पुत्रों को बहिस्सा बराबर देने की इच्छा जतायी। उसके पश्चात उसके निर्देशानुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने आपसी रजामन्दी से घराघरू बंटवारानामा दिनांक 9-12-2016 को व रूबरू गवाहान तहरीर व तकमील किया गया। जिसके अन्तर्गत उपरोक्त कुलहम भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने आपसी रजामन्दी से 1/3-1/3 हिस्सा में आपसी रजामन्दी से काश्त की सहूलियत से बंटवारा कर लिया।

यह कि आपसी घराघरू बंटवारानामा दिनांक 9-12-2016 के अनुसार पत्थर नम्बर 87/276 किला नम्बर 20 में ट्यूबवैल है जो तीनो भाईयों वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 का सांझा रहेगा और उसका उपयोग व उपभोग कर सकेंगे और बिजली बिल व अन्य ट्यूबवैल का खर्चा बराबर वहन करेगें।

यह कि मुताबिक घरू बंटवारा माता रणजीतकौर प्रतिवादीया संख्या 3 को उसके गुजारे हेतु पत्थर नम्बर 89/272 में डेढ़ बीघा यानि 1 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि की ठेका राशि तीनो भाई वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 हर वर्ष माता को देगें। यह राशि हर वर्ष 30 अप्रैल को दी जायेगी। जिसका स्पष्ट तात्पर्य है कि उक्त डेढ़ बीघा भूमि तीनो भाईयों के हिस्से की थी जिसकी ठेकाराशि बहिस्सा बराबर ही देनी थी। वादी द्वारा अपने हिस्से की राशि हर वर्ष प्रतिवादीया संख्या 3 को दी जाती रही है। प्रतिवादीया संख्या 3 प्रतिवादी 1 के साथ रहती है। चूंकि प्रतिवादीया संख्या 3 रणजीतकौर 80 वर्ष की बूढ़ी औरत है और वह अपना स्वयं का कार्य नहीं कर सकती। वह प्रतिवादी संख्या 1 के पास रहती है जो राशि उसे दी जाती है, उसकी और से प्रतिवादी संख्या 1 ही प्राप्त करता है। वादी ने दो वर्ष की ठेका राशि 25,000/- रूपये अदा की हुई है, प्रतिवादीया संख्या 3 ने ठेका राशि प्राप्त करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को अधिकृत किया हुआ है इसलिए ठेका राशि अदायगी की रसीद प्रतिवादीया संख्या 3 की और से प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को दी हुई है। इसलिए उपरोक्त कुलहम कृषि भूमि में प्रतिवादीया संख्या 3 कोई हिस्सा नहीं होने के कारण वादी का 1/3 हिस्सा है एवं वादी अपने 1/3 हिस्सा की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

यह कि अब वादी को यह मालुम हुआ है कि प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 प्रतिवादीया संख्या 3 को बहला फुसला कर और जमाबन्दी में उसके नाम का नाजायज लाभ उठाने की नियत से भूमि को अपने स्वयं के नाम से अथवा अन्य व्यक्तियों को अन्तरित करवाने पर आमादा है। ताकि उपरोक्त कुलहम भूमि में वादी के 1/3 हिस्सा व कब्जा काश्त में व्यवधान पैदा किया जा सके। जबकि वादी अपने पिता के देहान्त के उपरान्त से ही आपसी घराघरू बंटवारा के अनुसार उपरोक्त कुलहम कृषि भूमि के 1/3 हिस्सा पर काबिज चला आ रहा है।

यह कि वादी ने कल दिनांक 4-3-2019 को प्रतिवादीगण को उपरोक्त कुलहम कृषि भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा स्वीकार करने एवं उसी अनुसार अच्छी मन्दी के लिहाज से एवं कीमतनदाजी व रास्ता खाला की सुविधानुसार खाता विभाजन करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण कतई तौर पर साफ इन्कार हो गये और स्पष्ट रूप से यह धमकी दी कि प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 प्रतिवादीया संख्या 3 को बर्गला कर उसके नाम का नाजायज लाभ उठाकर भूमि को अन्यत्र बदमाश किस्म के व्यक्तियों को अन्तरित कर देगें अथवा वे अपने स्वयं के नाम अथवा अपने बच्चों अथवा पत्नियों के नाम से दस्तावेजात बनाकर रिकार्ड में अकंन करवा लेगें ताकि वादी को उसके

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

1/3 हिस्से से वंचित किया जा सके और उसके शान्तीपूर्वक चले आ रहे कब्जा काश्त में व्यवधान पैदा किया जा सके।

यह कि यदि धमकी प्रतिवादीगण अमल में आ गई और प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो वादी को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति हर्जाना से नहीं आंकी जा सकती और ना ही हर्जाना ऐसे कार्य के लिए उचित मदद हो सकता है। सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में है।

यह कि प्रश्नगत कृषि भूमि में वादी के 1/3 हिस्सा की घोषणा के साथ अच्दी मन्दी के लिहाज से व रास्ता खाला की सुविधानुसार खाता विभाजन मय लगान भी होना है। प्रतिवादी संख्या 4 भू-धारक है इसलिए उसे आवश्यक पक्षकार होने के नाते बतौर प्रतिवादी वाद में पक्षकार बनाया गया है।

यह कि वाद वादी माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में है एवं 3/-रूपये के न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण अलावा खर्चा मुकदमा निम्न तरीके पर डिग्री सादिर फरमाया जावेः-

घोषणा इस आशय की विरुद्ध प्रतिवादीगण की जावे कि प्रश्नगत कृषि भूमि चक 7 एसटीजी खाता संख्या 185/157 पत्थर नम्बर 89/272 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 3, 8, 9, 13, 18, 23 कुल 1.378 हैक्टेयर जिसमें 1.302 हैक्टेयर नहरी .0760 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता एवं पत्थर नम्बर 87/276 मुरब्बा नम्बर 32 किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 कुल 2.530 हैक्टेयर जिसमें 2.304 हैक्टेयर नहरी, 0.050 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता व 0.176 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला व पत्थर नम्बर 88/276 मुरब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 20 कुल 0. 253 हैक्टेयर नहरी इस प्रकार कुल 4.161 हैक्टेयर जिसमें 3.859 हैक्टेयर नहरी, 0.126 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता व 0.176 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला में प्रतिवादीया संख्या 1 का कोई हक नहीं होने के कारण वादी का 1/3 हक व हिस्सा है।

मुताबिक घोषणा उपरोक्त कृषि भूमि का खाता विभाजन अच्छी मन्दी व कीमतनदाजी के लिहाज से एवं रास्ता खाला की सुविधानुसार नियम 18 से 21 की पालनानुसार किया जावे और उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अकन किया जाकर अलग जमाबन्दी बनाई जावे।

स्थायी व्यादेश विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का जारी किया जावे कि प्रतिवादीगण प्रश्नगत कृ षि भूमि चक नम्बर 7 एसटीजी खाता संख्या 185/157 पत्थर नम्बर 89/272 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 3, 8, 9, 13, 18, 23 कुल 1.378 हैक्टेयर जिसमें 1.3020 हैक्टेयर नहरी व 0. 076 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता एवं पत्थर नम्बर 87/276 मुरब्बा नम्बर 32 किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 = 2.5300 हैक्टेयर जिसमें 2.304 हैक्टेयर नहरी, 0.050 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता व 0.176 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला व पत्थर नम्बर 88/276 मुरब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 20 कुल 0.253 हैक्टेयर नहरी इस प्रकार कुल 4.161 हैक्टेयर जिसमें 3.859 हैक्टेयर नहरी, 0.126 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता व 0.1760 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला के किसी भी भाग को किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी भी दस्तावेज के जरिये रहन बय अन्तरित करने अथवा बैंक लोन लेकर भार कारित करने एवं वादी के 1/3 हिस्सा में किसी भी प्रकार से कब्जा काश्त में व्यवधान पैदा करने से निषेधित रहे।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी ता 3 की ओर से अधिवक्ता हरमनप्रीत सिंह उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने दावा में राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 3 ने अपना हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 1,

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

2 के पक्ष त्याग राजीनामा में किया है। वाद पत्र कोई विरोध नहीं होने के कारण तनकीयत कायम नहीं की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा के दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व सहमति के आधार पर वाद, वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:<u>क्रियात्मक आदेश</u>:-

अतः वाद वादी निर्णित किया जाता है व मुताबिक राजीनामा के घोषणा की जाती है कि:- चक 7 एसटीजी खाता संख्या 43/185 में दर्ज तादादी 4.161 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक को 1/3-1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार इस खाते से खातेदार प्रतिवादी सं. 3 का नाम कलमजन किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहे।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोट:- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ